(४५०)

समाहरणालय, लातेहार

(राजस्व शाखा)

पत्रांक....529..../रा०

प्रेषक,

अपर समाहर्त्ता,
लातेहार।

सेवा में,

जिला कल्याण पदाधिकारी,
लातेहार।

लातेहार, दिनांक....17../07/2019

विषयः— **400kv d/c North Karanpura to Chandwa** संचरण लाईन में पड़ने वाले वन भूमि एवं गैरमजरूआ जंगल—झाड़ी भूमि का वन अधिकार अधिनियम के तहत अनापत्ति निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि **North Karanpura Transco Limited** के द्वारा वन अधिकार अधिनियम के तहत अनापत्ति निर्गत करने हेतु 27.7830 हे0 का Land Schedule के साथ अधियाचना दिया गया है। (छाया प्रति संलग्न)

अतः अधियाचना के आलोक में वन अधिकार अधिनियम के तहत अनापत्ति निर्गत करने की आवश्यक कार्रवाई की जाय।

अनुलग्नक—यथोक्त। (चार प्रतियों)

विश्वासभाजन

18/7/19

16/7/19
प्र. पदे।

[signature] 17/7/19
अपर समाहर्त्ता,
लातेहार।

ज्ञापांक....529....दिनांक....17/07/19

प्रतिलिपिः— अंचल अधिकारी, चंदवा, बालूमाथ, बारियातू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि ग्राम सभा से पारित कराकर प्रस्ताव अनुमण्डल स्तरीय समिति को उपलब्ध कराना निश्चित करें।

प्रतिलिपिः— अनुमण्डल पदाधिकारी, लातेहार/ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, लातेहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16/7/19
प्र० पदे।

[signature] 17/7/19
अपर समाहर्त्ता,
लातेहार।

कार्यालय– समेकित जनजाति विकास अभिकरण (I.T.D.A) लातेहार।

(अ0ज0जा0, अ0जा0, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग)

पत्रांक 1058 / I.T.D.A, दिनांक 06 / 9 / 2019

प्रेषक,

जिला कल्याण पदाधिकारी
–सह– अपर परियोजना निदेशक,
आई०टी०डी०ए०, लातेहार।

सेवा में,

अंचल अधिकारी,
बारियातु, बालुमाथ एवं चन्दवा।

विषय :– **400 के0वी0 d/c North Karanpura to Chandwa संचरण लाईन में पड़ने वाले वन भूमि एवं गैरमजरूआ जंगल–झाड़ी भूमि का FRA के तहत अनापति प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु ग्राम–सभा से पारित कराकर SDLC को उपलब्ध कराने के संबंध में।**

प्रसंग :– अपर समाहर्त्ता, लातेहार का पत्रांक– 929, दिनांक– 11.07.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि अपर समाहर्त्ता, लातेहार का पत्रांक– 929, दिनांक– 11.07.2019 के द्वारा 400 के0वी0 d/c North Karanpura to Chandwa संचरण लाईन में पड़ने वाले कुल– 27.7830 हेक्टेयर वन भूमि एवं गैरमजरूआ जंगल–झाड़ी भूमि का FRA के तहत अनापति प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु पत्र उपलब्ध कराया गया है, जिसका प्रखण्डवार / ग्रामवार भूमि का ब्यौरा निम्नवत् है :–

क्र0	प्रखण्ड / अंचल का नाम	ग्राम का नाम	कुल भूमि (हेक्टेयर में)
1	बारियातु	फुलबसिया (अमरवाडीह)	27.7830
2	बालुमाथ	आरा, चमातु, चेटर, बसिया, चितरपुर, ग्रेंजा, हेमपुर, जरी, जोगियाडीह, मुरगांव, नगड़ा, पुण्डुरलावा, सेमरसोत एवं सेरेगड़ा	
3	चन्दवा	नगर, अनगड़ा एवं अम्बादोहर	

अनुरोध है कि उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु ग्राम–सभा से पारित कराकर अनुमण्डल स्तरीय वनाधिकार समिति, लातेहार को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय, ताकि अनापति निर्गत करने हेतु आवश्यक कारवाई की जा सके।

अनुलग्नक :– छायाप्रति कुल ...... पन्नों में।

एक प्रति जमा
7/9/19

विश्वासभाजन
5/9/19
जिला कल्याण पदाधिकारी,
–सह– अपर परियोजना निदेशक,
आई०टी०डी०ए०, लातेहार।

Received
अंचल अधिकारी
Received

कार्यालय अंचल अधिकारी चन्दवा,लातेहार।

Email ID – chandwaco@gmail.com

पत्रांक : ....दिनांक : ....

प्रेषित,

श्री बिन्दा उरांव,
राजस्व उप निरीक्षक,
अंचल कार्यालय, चन्दवा।

विषय :– 400 के0भी0 डी0/सी0 नॉर्थ कर्णपूरा से चन्दवा संचरण लाईन के अन्तर्गत पडने वाले गैरमजरूआ खास/जंगल झाडी/ वन भूमि का वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत अनापति के संबंध में।

प्रसंग :– भवदीय जिला कल्याण पदाधिकारी, लातेहार के पत्रांक 1058, दिनांक 06.09.2019

उपरोक्त प्रासंगिक विषय के संबंध में 400 के0भी0 डी0/सी0 नॉर्थ कर्णपूरा से चन्दवा संचरण लाईन के अन्तर्गत पडने वाले गैरमजरूआ खास/जंगल झाडी/ वन भूमि का वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत अनापति की मांग की गयी है। उक्त के आलोक में अनापति निर्गत करने हेतु निम्न तालिका अनुसार तिथि निर्धारित की जाती है। अतः आपको निदेश दिया जाता है कि उक्त के संदर्भ में संबंधित भूमि का सत्यापन करते हुये ग्रामसभा से अनापति प्राप्त करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करेंगे तथा संबंधित प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें। ग्रामसभा से अनापति प्राप्त करने संबंधी भूमि का विवरण इस पत्र के साथ संलग्न है।

कमांक	ग्राम	तिथि	समय
1	अनगड़ा	06.11.2019	11:00 बजे पूर्वाहन
2	नगर	06.11.2019	2:00 बजे अपराध्हन
3	अम्बादोहर	07.11.2019	11:00 बजे पूर्वाहन

19.10.2019
अंचल अधिकारी
चन्दवा।

ज्ञापांक 310 दिनांक 19-10-19

प्रतिलिपि : मुखिया/वार्ड सदस्य/पंचायत समिति सदस्य/ग्राम प्रधान/ग्रामीण जन एवं संबंधित रैयत अनगड़ा, नगर एवं अम्बादोहर ग्राम पंचायत चकला को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अध्यक्ष/सचिव/सदस्य, वन अधिकार समिति, अनगड़ा, नगर एवं अम्बादोहर पंचायत चकला को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– भवदीय अपर समाहर्ता, लातेहार को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :– श्री चन्द्रशेखर सिंह, सहायक प्रबंधक, नॉर्थ कर्णपूरा, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

19.10.2019
अंचल अधिकारी
चन्दवा।

कार्यालय अंचल अधिकारी, बारियातु।

पत्रांक ..../ दिनांक ....

प्रेषित,

श्री उपेन्द्र कुमार,
राजस्व उप निरीक्षक
अंचल बारियातु।

विषयः— 400 के0वी0 डी/सी नॉर्थ करनपुरा—चन्दवा संचरण लाईन में पड़ने वाले गैरमजरूआ जंगल झाड़ी एवं वनभूमि भूमि का वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत अनापत्ति के संबंध में।

प्रसंग — जिला कल्याण पदाधिकारी, लातेहार के पत्रांक 1058 दिनांक 06.09.2019

महाशय,

उपर्युक्त प्रसांगिक विषय के संबंध में 400 के0वी0 डी/सी नॉर्थ करनपुरा—चन्दवा संचरण लाईन में पड़ने वाले गैरमजरूआ खास/जंगल झाड़ी/वनभूमि भूमि का वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत अनापत्ति की मांग की गई है। उक्त के आलोक में अनापत्ति निर्गत करने हेतु निम्न तालिका अनुसार तिथि निर्धारित की जाती है।

अतः आपको निदेश दिया जाता है कि उकत के संदर्भ में संबंधित भूमि का सत्यापन करते हुए ग्राम सभा से अनापत्ति प्राप्त करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करेंगे तथा संबंधित प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। ग्राम सभा से अनापत्ति प्राप्त करने संबंधी भूमि का विवरण इस पत्र के साथ संलग्न है।

क्रमांक	ग्राम का नाम	ग्राम सभा की तिथि	समय/स्थान
1	फुलबसिया उर्फ अमरवाडीह	13.11.2019	11 बजे पूर्वाह्न/शिवमंदिर पंचायत भवन

ह0/—
अंचल अधिकारी,
बारियातु।

ज्ञापांक 197/ दिनांक 11.11.19

प्रतिलिपि — मुखिया/वार्ड सदस्य/पंचायत समिति सदस्य/ग्राम प्रधान/ग्रामीण जनता एवं संबंधित रैयत ग्राम फुलबसिया उर्फ अमरवाडीह को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि — अध्यक्ष/सचिव/सदस्य, ग्राम वन अधिकार समिति, फुलबसिया उर्फ अमरवाडीह को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि — श्री चन्द्रशेखर सिंह, सहायक प्रबंधक, नॉर्थ कर्णपुरा, रांची को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि — अपर समाहर्त्ता, लातेहार/उपायुक्त, लातेहार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

11/11/2019

अंचल अधिकारी,
बारियातु।